झारखंड लोक सेवा आयोग
सर्कुलर रोड, रांची – 834001

विज्ञापन

ऑनलाइन (Online) आवेदन करने की अंतिम तिथि–13.02.2017

विज्ञापन संख्या–04/2017

झारखण्ड लोक सेवा आयोग में **कम्प्यूटर प्रोग्रामर** के पद पर संविदा आधारित नियुक्ति हेतु इच्छुक अर्हताधारी भारतीय नागरिकों से ऑनलाईन (Online) आवेदन पत्र निम्न शर्तो के अनुसार विहित प्रपत्र में आमंत्रित किये जाते हैं।

इस पद पर नियुक्ति पूर्णतः संविदा के आधार पर होगी तथा अस्थायी होगी। नियुक्ति हेतु शर्त्त निम्नवत् है :–

1. **पद का नाम** :– **कम्प्यूटर प्रोग्रामर**
2. **रिक्तियों का विवरण** :–

अनारक्षित	अनु0जाति	अनु0 जनजाति	पिछड़ा वर्ग (Annexure-I)	कुल
03	01	01	01	06

3. **वेतनमान** :– रु0 32,000/- प्रतिमाह
4. **शैक्षणिक एवं आवश्यक योग्यताएँ** :– किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर विज्ञान/सूचना प्रोद्योगिकी में बी0ई0/बी0टेक में 60 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए।

   अथवा

   एम0सी0ए0/एम0एस0सी0 सूचना प्रोद्योगिकी/एम0एस0सी0 कम्प्यूटर विज्ञान में 60 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए।
5. **कार्यानुभव** :– आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक किसी सरकारी संस्थान में Software Development, Data Management & Data Processing के क्षेत्र में कम से कम 02 वर्षो का कार्यानुभव अनिवार्य होगा। किसी लोक सेवा आयोग के कार्यानुभव को अधिमानता दी जायेगी।
6. **उम्र गणना की तिथि** :– उम्मीदवारों के उम्र की गणना का Cut off date 01.08.2016 होगा।

   (क) न्यूनतम उम्र सीमा **21 वर्ष** होनी चाहिए।

   (क) अधिकतम उम्र सीमा निम्न प्रकार से देय होगी :–

क्र0सं0	कोटि	अधिकतम उम्र सीमा
1.	अनारक्षित	35 वर्ष
2.	अत्यन्त पिछडा वर्ग (Annexure-I)	37 वर्ष
3.	महिला (अनारक्षित/पिछडा वर्ग (Annexure-II) एवं अत्यंत पिछडा वर्ग (Annexure-I)	38 वर्ष
4.	अनु0जनजाति एवं अनु0जाति (पुरूष एंव महिला)	40 वर्ष

7. **आरक्षण का लाभ :–**

(क) **ऑनलाइन** (Online) आवेदन में नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

(ख) आरक्षण का लाभ केवल झारखण्ड राज्य के स्थायी निवासी को सक्षम स्तर के पदाधिकारी अर्थात् **उपायुक्त/अनुमण्डल पदाधिकारी** स्तर से दिनांक–02.06.2016 के बाद का निर्गत जाति प्रमाण पत्र एवं स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र (नियोजन के लिए) के आधार पर ही देय होगा। **झारखण्ड राज्य के बाहर के जाति प्रमाण पत्र/स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र धारक अभ्यर्थी के लिए आरक्षण के लाभ हेतु किया गया दावा अनुमान्य नहीं होगा।**

(ग) **(i)** झारखण्ड सरकार द्वारा लागू अद्यतन आरक्षण संबंधी नियम प्रभावी होंगे। अन्य राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों के उम्मीदवार को, चाहे वे किसी भी जाति के हों, आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा तथा वे अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवार माने जायेंगे।

(ii) झारखण्ड राज्य के उम्मीदवार, जो **अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग** (Annexure-I) (जो क्रिमिलेयर में शामिल न हो) के हैं, को आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए झारखण्ड राज्यान्तर्गत सक्षम पदाधिकारी अर्थात **उपायुक्त/अनुमण्डल पदाधिकारी** स्तर से निर्गत वैध जाति प्रमाण पत्र एवं स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र संख्या तथा जारी करने की तिथि का विवरण ऑनलाइन आवेदन पत्र में देना अनिवार्य होगा अन्यथा अभ्यर्थी अनारक्षित कोटि के माने जायेंगे। ऑनलाइन आवेदन में दिये गये प्रविष्टि (Entry) के अनुसार प्रमाण पत्रों के सत्यापन के समय उक्त सम्बंधित प्रमाण पत्रों को मूल रूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा अभ्यर्थिता/पात्रता निरस्त करने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।

8. **नियुक्ति का प्रकार, पदस्थापन स्थल एवं नियुक्ति की अवधि/ नियुक्ति का नवीकरण कार्य :–**

(क) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को नियमित रूप से नियुक्त करने का आयोग पर कोई दायित्व नहीं होगा।

(ख) प्रारंभिक चरण में ऐसी नियुक्ति एक वर्ष के लिए आयोग में की जायेगी। इस कलावधि के पूर्ण होने के पूर्व सचिव के द्वारा गठित समिति उनके कार्यों की समीक्षा करेगी। कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर आवश्यकतानुसार अगले 01 वर्ष के लिए संविदा का नवीकरण किया जा सकेगा।

(ग) संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मी का नवीकरण नहीं होने पर ऐसी नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

(घ) यदि कोई कार्यरत कर्मी ऐसी नियुक्ति से स्वतः मुक्त होना चाहेगा तो उसे अपने नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से नियुक्ति पदाधिकारी को इसकी लिखित सूचना एक माह पूर्व देनी होगी या एक माह की परिलब्धि जमा करनी होगी। इसके विपरीत यदि नियुक्ति पदाधिकारी को ऐसे कार्यरत कर्मी की सेवा की आवश्यकता नहीं हो तो वे उसे एक माह की लिखित सूचना या एक माह की परिलब्धि देकर

कार्यरत कर्मी की सेवा समाप्त कर सकेंगे, परंतु कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर ऐसे कार्यरत कर्मी की सेवा नियुक्ति पदाधिकारी के द्वारा किसी भी समय समाप्त कर दी जायेगी।

9. **नियोजन के पश्चात् कार्य** :– झारखण्ड लोक सेवा आयोग में विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं का आयोजन एवं संधारण से संबंधित कम्प्यूटर कोषांग में प्रोग्रामिंग, डाटा बेस एडमिनिस्ट्रेशन एवं OMR Scaning का कार्य। साथ ही आयोग के कार्यों को अति गोपनीय ढंग से समयबद्ध तरीके से त्रुटि रहित संधारण आदि कार्य।

10. **चिकित्सा प्रमाण पत्र** :– नियुक्ति हेतु उम्मीदवारों को शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ्य होने की अनिवार्यता रहेगी और सरकारी सेवक के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन हेतु आवश्यक शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के मापदण्ड के अनुरूप होना होगा। अभिलेख सत्यापन के समय अंतिम रूप से सफल उम्मीदवारों द्वारा पंजीकृत चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

11. **चयन की प्रक्रिया** :– आयोग द्वारा अभ्यर्थियों का चयन साक्षात्कार के माध्यम से किया जायेगा। अभ्यर्थियों के मैट्रिक, इंटरमीडियट एवं अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता हेतु निर्धारित संकाय में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा सूची तैयार की जायेगी तथा तैयार मेधा सूची में से कोटिवार रिक्तियों के पाँच गुणा एवं समान प्राप्तांक वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जायेगा।

12. **मेधा सूची** :– शैक्षणिक योग्यता एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर अंतिम मेधासूची तैयार की जायेगी। शैक्षणिक योग्यता के लिए अंकों का निर्धारण आयोग द्वारा किया जायेगा। अंतिम मेधासूची में एक से अधिक अभ्यर्थियों द्वारा समान प्राप्तांक की स्थिति में वरीयता का क्रम निम्न मानकों के आधार पर किया जायेगा :–

(i) कार्यानुभव

(ii) जन्मतिथि,

(iii) शैक्षणिक योग्यता।

13. **अपवादः** वैसे अभ्यर्थी नियुक्ति प्रक्रिया में सम्मिलित होने के हकदार नहीं होंगे जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग अथवा किसी राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा कदाचार या अन्य किसी मामले में परीक्षा से वांचित कर दिये जाने का आदेश पारित किया गया है। उम्मीदवारों के परीक्षा में बैठने की पात्रता या अपात्रता के बिन्दु पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

14. साक्षात्कार में सफल अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्रों की जाँच के समय सभी वांछित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति एवं राजपत्रित पदाधिकारी / संबंधित थाना से निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

15. **परीक्षा शुल्कः**–

(i) परीक्षा शुल्क क्रेडिट कार्ड / डेबिट कार्ड / इंटरनेट बैंकिंग / चालान के माध्यम से SBI Collect पर स्वीकार किये जायेंगे जिससे संबंधित सूचना आयोग के वेबसाइट **www.jpsc.gov.in** पर उपलब्ध है।

(ii) सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को परीक्षा शुल्क रू0 **600 (छह सौ) + बैंक चार्ज** मात्र तथा झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति / अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को रू0 **150 / – (एक सौ पचास) +**

बैंक चार्ज मात्र देय होगा। झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को परीक्षा शुल्क में छूट का लाभ प्राप्त करने के लिए झारखण्ड राज्यान्तर्गत **उपायुक्त/अनुमण्डल पदाधिकारी** स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र का विवरण **ऑनलाइन** (Online) आवेदन पत्र में प्रविष्ट करना अनिवार्य होगा।

(iii) **झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति कोटि से इतर कोटि के अभ्यर्थियों द्वारा रियायती दर पर परीक्षा शुल्क भरे जाने की स्थिति में उनके आवेदन पत्र को रद्द करते हुए उनकी उम्मीदवारी समाप्त कर दी जायेगी।** बिना परीक्षा शुल्क भुगतान किये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे और वे रद्द समझे जायेंगे। परीक्षा शुल्क अप्रतिदेय (Non Refundable) होगा।

(iv) विकलांग अभ्यर्थियों (कम से कम 40 प्रतिशत संगत निःशक्तता) को परीक्षा शुल्क में छूट है।

(v) परीक्षा शुल्क के अलावा अभ्यर्थियों को बैंक चार्ज के रूप में अतिरिक्त राशि का भी भुगतान करना होगा जिसकी विस्तृत सूचना आयोग के वेबसाईट **www.jpsc.gov.in** पर उपलब्ध है। जिसे आवेदन जमा करने के पूर्व अवश्य देख कर ही आवेदन करें।

16. आवेदन–प्रपत्र भरने की प्रकिया एवं अन्य अनुदेश :–

(क) **ऑनलाइन (Online) आवेदन प्रपत्र भरने के पूर्व आवेदन कैसे करें, "How to apply" अवश्य पढ़ें। विज्ञापन संबंधी जानकारी के लिए आयोग के Help Line No. 0651–2213009 पर आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक कार्य दिवस में सुबह–10.00 बजे से शाम 05:00 बजे तक संपर्क किया जा सकता है।**

(ख) Jharkhand Public Service Commission के वेबसाइट **www.jpsc.gov.in** पर **Online Application System** के माध्यम से आवेदन स्वीकार किया जाएगा।

(ग) चयन हेतु Online आवेदन की मुद्रित प्रति के साथ सभी स्वहस्ताक्षरित वांछित जन्मतिथि संबंधी प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं अनुभव प्रमाण पत्र को संलग्न करते हुए **''परीक्षा नियंत्रक, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, सर्कुलर रोड, राँची–834001''** के पते पर निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट/हाथों–हाथ निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा अन्यथा अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी।

(घ) चयन में अभ्यर्थी द्वारा दी गई सूचना के आधार पर उनकी अभ्यर्थिता सुनिश्चित की जायेगी।

(ङ.) Online आवेदन पत्र भरते समय सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्रों (अंकों के प्रतिशत सहित), उम्र संबंधी प्रमाण पत्र, अंक पत्रों एवं अनुभव से संबंधित प्रमाण पत्र की सही जानकारी देना अनिवार्य होगा तथा Online आवेदन में दी गई सूचना तथा प्रमाण पत्रों के सत्यापन के समय दी गई सूचना में भिन्नता होने पर अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी।

(च) आवेदक सरकारी सेवा में होने की स्थिति में सक्षम पदाधिकारी/नियंत्री पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र की विवरणी Online Application में अंकित करेंगे तथा छायाप्रति मुद्रित आवेदन पत्र के साथ संलग्न करेंगे एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन के दौरान अनापत्ति प्रमाण पत्र की मूल–प्रति भी प्रस्तुत करेंगे।

(छ) Online Application System के द्वारा वांछित स्थान पर अभ्यर्थी अपना **स्पष्ट रंगीन फोटोग्राफ (पासपोर्ट साईज) एवं हस्ताक्षर स्कैन कर संलग्न करना सुनिश्चित करेंगे अन्यथा अभ्यर्थिता रदद् कर दी जायेगी।**

(ज) Online आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर को छोड़कर अंग्रेजी के बड़े अक्षरों (BLOCK LETTERS) में ही आवेदन पत्र भरा होना चाहिए।

(झ) आवेदक अपने नाम, पिता का नाम की वर्त्तनी (Spelling) वही लिखेंगे, जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट एवं अंक पत्र में अंकित है।

(ञ) जन्म तिथि– आवेदक के मैट्रिक प्रमाण पत्र/अंक पत्र में, जो उनकी जन्म तिथि अंकित यथा तिथि, महीना और वर्ष है वही Online आवेदन पत्र के यथा निर्धारित स्थान पर प्रविष्टि करें।

(ट) Online आवेदन भरते समय आवेदक शैक्षणिक योग्यता से संबंधित विवरणी, उम्र संबंधी प्रवेशिका (मैट्रिक) प्रमाण पत्र तथा जाति प्रमाण पत्र (जहाँ लागू हो) ऑनलाइन (Online) आवेदन पत्र में निर्धारित कंडिकाओं में अवश्य प्रविष्टि करेंगे। प्रमाण पत्र के सत्यापन के समय जाँच के क्रम में उपरोक्त संबंधित प्रमाण पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी तथा इसके लिए आवेदक स्वयं जिम्मेवार होंगे।

(ठ) **जाँच के क्रम में किसी भी स्तर पर किसी समय कोई भी सूचना एवं तथ्य गलत पाये जाने पर अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी।**

(ड) चयन प्रक्रिया बिना कारण बताये किसी भी समय स्थगित या रद्द करने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।

(ढ) Online Application की मुद्रित प्रति भेजे जाने वाले लिफाफे के ऊपर **विज्ञापन संख्या, आवेदित पद का नाम, कोटि का नाम एवं आवेदक का** online **निबंधन संख्या** (Registration Number) मोटे अक्षरों में अनिवार्य रूप से अंकित करेंगे, अन्यथा अभ्यर्थिता स्वीकार नहीं होने के लिए वे स्वयं जिम्मेवार होगें।

17. **(i) <u>कदाचार (Misconduct) एवं इसके दुष्परिणामः–</u>**

Candidates are warned that they should not furnish any particulars that are false or suppress any material information in filling up the application form. Candidates are also warned that they should in no case correct or alter or otherwise tamper with any entry in a document or its attested/certified copy submitted by them nor should they submit a tampered/fabricated document. If there is any inaccuracy or any discrepancy between two or more such documents or their attested/certified copies, an explanation regarding this discrepancy should be submitted. A candidate who is or has been declared to be guilty of :

(a) Obtaining support of his/her candidature by any means, or

(b) Impersonating, or

(c) Procuring impersonation by any person, or

(d) Submitting fabricated documents or documents which have been tampered with, or

(e) Making statements which are incorrect or false or suppressing material information, or

(f) Resorting to any other irregular or improper means in connection with his/her candidature for the selection, or

(g) Using unfair means during the test, or

(h) Writing irrelevant matter including obscene language or pornographic matter, sketch, in the script (s), or

(i) Misbehaving in any other manner in the examination hall, or

(j) Harassing or doing bodily harm to the staff employed for the conduct of their test, or

(k) Bringing mobile phone/communication device in the examination Hall/interview room.

(l) attempting to commit or, as the case may be, abetting the Commission of all or any of the acts specified in the forgoing clauses may, in addition to rendering himself/herself liable to criminal prosecution be liable:

(i) to be disqualified from selection, for which he/she is a candidate, and/or

(ii) to be debarred either permanently or for a specified period:-

(iii) Canvassing in any form will disqualify a candidate.

(ii) कदाचार के लिए कार्यवाही :–

ऊपर वर्णित कदाचार के मामलों में दोषी पाये गए अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता किसी भी stage में समाप्त की जा सकेगी। जिसका निर्णय आयोग द्वारा किया जायेगा।

18. अंतिम तिथि :–

(क) आवेदक Online Application System के माध्यम से **दिनांक– 23.01.2017 से 13.02.2017 अपराह्न 05:00 बजे** तक ही Online आवेदन कर सकते हैं।

(ख) दिनांक–**13.02.2017** के बाद दिनांक–**16.02.2017** तक लिंक मात्र परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए उपलब्ध रहेगा।

(ग) ऑनलाइन आवेदन पत्र की मुद्रित प्रति एवं वांछित प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति आयोग कार्यालय में पहुँचने की अंतिम तिथि दिनांक–**27.02.2017** अपराह्न– **05:00** बजे तक है।

(घ) अन्य किसी भी माध्यम से भेजे गये आवेदन–पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

ह0/–
सचिव,
झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची।